न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 56/2020-21

प्रथम पक्ष – मो0 साकिब पिता स्व0 रियासत हुसैन
ग्राम– पासा कॉलोनी, खूँटी, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी।

द्वितीय पक्ष – अंचल अधिकारी, खूँटी।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
05.02.21	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।	

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–1017R27/19-20 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.20 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित हैः–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
खूँटी	खूँटी 83	335	381	0.04

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का पर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि आवेदक ने उक्त भूमि श्रीमती बेबी देवी पति श्री अधीन साहु ग्राम–मेलाटांड, थाना–खूँटी से रजिस्ट्री पट्टा सं0 378 दिनांक 04.04.2013 के द्वारा क्रय किया है।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित खाता सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास एवं आवेदक रैयतीकरण से संबंधित कोई कागजात नहीं प्रस्तुत किये जाने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक ने मौजा खूँटी का खाता सं0 335 प्लॉट सं0 381 रकबा 0.04 एकड़ भूमि का क्रय किया है एवं आवेदक आवेदित भूमि पर दखलकार है। आवेदक द्वारा रैयतीकरण से संबंधित साक्ष्य के रूप में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा निर्गत दाखिल खारिज वाद सं0 358R27/10–11 दिनांक 27.09.10 द्वारा निर्गत शुद्धि पत्र एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में श्रीमती बेबी देवी के नाम निर्गत राजस्व रसीद सं0 0146428694 दिनांक 13.08.2020 प्रस्तुत किया है। अंत में अपील स्वीकार करने का प्रार्थना करते है।

अधिवक्ता के बहस को सूना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन एवं पाया कि विक्रेता श्रीमती बेबी देवी ने उक्त भूमि पूर्व रैयत घासी साहू से क्रय किया है। घासी साहू को उक्त भूमि कैसे प्राप्त हुआ उससे संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदित खाता की भूमि सर्वे खतियान में में गैरमजुरूआ खास दर्ज है।

अतः अपील वाद अस्वीकृत की जाती है। अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश को यथावत रखी जाती है। अपीलकर्त्ता सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित

05/02/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

05/02/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.08.10 13:20:39 +05:30
Location: 192.168.225.42

थाना ...... जिला ......

KK Das
Advocate
अधिवक्ता 7/10/20